फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

डालचन्द सैनी बनाम श्रीचन्द चौधरी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, मु0 नं0 2/20/2024 सन –2024

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–07–24	वकील प्रार्थी श्री प्रतीक कुमावत के साथ प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात व वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। अतः अप्रार्थीगणो को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26–07–24 तक पाबन्द किया जाता है हाल आराजी खसरा नम्बर 1440 रकबा 0.29 है0, 1439 रकबा 0.30 है0, 1441 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम चिकानी तहसील अलवर मे से प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश हो। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा (Absolute) कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में दिनांक 26.07.2024 का उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 26.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर उपखण्ड अधिकारी अलवर 26.7.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अनु0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 13-8-24 को पेश हो। 13-8-24 [illegible] दिनांक 12-11-24 को पेश हो।	Notice 468 23/7/24

07-10-24

लक्ष्मण/रामेश्वर
उ/ लालचन्द सैनी

उ/ हेमन्त कुमार 286
उपस्थित वकील प्रार्थी

पत्रावली पूर्व निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रार्थी वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई निवेदन किया कि हमारा आपसी स्तर पर समझौता हो गया है वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं वाद को निरस्त करना चाहते हैं इसी स्तर पर आदेशिका पर [illegible] यदि कोई हस्ताक्षर वादी द्वारा की गई तथा पक्षकारान वकील हुआ उक्त वादी/वकील वादी के उ०पत्र स्वीकार मनन करने के उपरान्त इसी स्तर पर स्वीकार किया जाकर बाद वादी पत्रावली अनुसार से कम हो बाद तकमील होवे। पत्रावली दाखिल दफ्तर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर